उत्तर प्रदेश में 'काम के बदले अनाज' का कार्यक्रम

2509. **श्री जैनुल बशर :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को कितनी धनराशि और कितनी मात्रा में अनाज आबंटित किया गया है ; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए आबंटनों का जिलावार ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिये केन्द्रीय अंश के रूप में 16.70 करोड़ रुपये की नकद निधियों के अलावा 27,900 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा संस्वीकृत की गई है। सूचना मिली है कि राज्य सरकार ने आबंटित मात्रा में से कोई खाद्यान्न नहीं उठाए हैं और इस प्रकार जिलों को अभी खाद्यान्नों की कोई मात्रा आबंटित नहीं की गई है।

बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कम लागत के मकान

2510. **श्री जैनुल बशर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लिये गांवों में आबंटित आवासीय भूमि पर कम लागत पर मकान बनाने की कोई योजना मंत्रालय के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) कब तक इसको कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राज्य सरकारें पहले ही ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थल व गृह निर्माण सहायता की योजना का कार्यान्वयन कर रही हैं जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंग के रूप में विकसित आवास स्थल का आबंटन तथा उस पर कम लागत के मकान बनाने के लिए सहायता शामिल हैं।

(ख) इस योजना में सम्पर्क मार्गों, 250 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 30-40 मकानों के एक समूह के लिए पक्के कुएं के प्रावधान सहित लगभग 100 वर्ग गज माप का आवास स्थल के आबंटन पर विचार किया गया है। आबंटित किए गये स्थल पर रिहायशी एकक के निर्माण के लिए स्थानीय भवन निर्माण सामग्रियों के लिये 500 रुपये की सहायता दी जानी है। सभी श्रम कार्यों की व्यवस्था लाभभोगियों द्वारा की जानी है।

(ग) छठी योजना में सभी अनुमानित पात्र परिवारों को आवास-स्थल देने तथा उनमें से 25 प्रतिशत को 1985 तक गृह निर्माण सहायता देने पर विचार किया गया है।